न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 4, लखीमपुर–खीरी।

प्रा०दी०वाद सं० –1215/2022

लाड़िले प्रसाद आदि बनाम रमेश आदि

<u>दिनांक 04–08–2026</u>

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर कोई उपस्थित नहीं ।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वादीगण मुकदमा विगत कई तिथियों से अपने वाद पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं आ रहे है और न ही उनके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण को अपने वाद को चलाने में कोई रूचि शेष नहीं रह गयी है । अतएव मामले को लम्बित रखने का कोई तर्क संगत आधार प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में वादीगण की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वाद अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

वादीगण की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में उक्त प्रा०दी०वाद खारिज किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मो० कासिम)
अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 4,
लखीमपुर खीरी
जे०ओ०कोड– UP 4734